

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

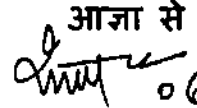
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश /439 /2021 दिनांक : 06.02.2021

श्री कमल सोनी (RJ0771), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-08, जयपुर महानगर-I को दिनांक 08.02.2021 से 22.02.2021 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिनांक 07.02.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित एवं (आदेश क्रमांक Gen/XV(TRNG) 09/2021/375, dated 28.01.2021 के अनुसार webinar on "The statutory framework of the Mental healthcare Act, 2017 and concerns regarding implementation" on 09.02.2021 को attend करने की शर्त सहित) स्वीकृत किया जाता है ।

श्री सोनी की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जयपुर महानगर-I इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-08, जयपुर महानगर-I के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

06/2/2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/54/2013/ 990

दिनांक : 06.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-I को उनके पत्रांक 647 दिनांक 02.02.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री कमल सोनी (RJ0771), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-08, जयपुर महानगर-I
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-08, जयपुर महानगर-I
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जयपुर महानगर-I


सहायक रजिस्ट्रार